विज्ञान के लिए चुनौती बने सायबर अपराध

योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ
जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, भोपाल–462044, मध्य प्रदेश, भारत
yksnliu@gmail.com

विज्ञान के विकास के साथ–साथ संचार के माध्यमों का भी उतनी ही तेजी से विकास हुआ है। आज इक्कीसवीं सदी में विश्व को विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने एक वैश्विक गाँव का रूप दे दिया है और विश्व की सभी सभ्यताओं को करीब से इसके माध्यम से न केवल जाना जा सकता है बल्कि उसी भाषा में संवाद भी किया जा सकता है। कम्प्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से लोगों के बीच की दूरी समाप्त हो चुकी है। एक तरफ जहाँ पर इन नये संचार के माध्यमों का उपयोग नयी जनक्रांति एवं जन आंदोलनों को खड़े करने में किया जा रहा है तो दूसरी ओर इन्हीं माध्यमों से लोगों को वित्तीय नुकसान पहुँचाने, सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने और सरकारों के महत्वपूर्ण संस्थानों की वेबसाइट को नुकसान पहुँचाने का कुछ समूह योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। इसीलिए वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के माध्यम से एक समान विधि बनाने का आरम्भ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सन् 1966 में की थी जिसके आधार पर बाद में विश्व के देशों ने कानून बनाकर इसके दुरूपयोग को नियन्त्रित करने का सार्थक प्रयास किया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने ई–व्यापार एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों को नियन्त्रित करने के लिए 30 जनवरी, 1997 को एक मॉडल कानून बनाया।

जब हम बात करते हैं कि सायबर अपराध हमारे देश में बढ़ रहे हैं तो हमें इसको व्यापार स्तर पर देखकर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मूलतः सायबर अपराध व्यक्तियों के विरुद्ध, संस्थाओं या संगठनों के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध होते हैं। प्रथम श्रेणी में जो सायबर अपराध आते हैं उनमें– ई–मेल के माध्यम से लोगों को परेशान करना, अश्लील साहित्य का प्रसारण, सायबर स्टॉकिंग, मानहानि, दूसरों के कम्प्यूटर में अवैध तरीके से घुसकर उपयोग करना, कम्प्यूटर के माध्यम से धोखा–धड़ी आदि आते हैं। दूसरी श्रेणी में किसी संस्था या संगठन के कम्प्यूटर नेटवर्क में घुसकर दुरुपयोग, कम्प्यूटर में प्रविष्ट जानकारियों को अपने कब्जे में लेकर दुरुपयोग, सायबर आतंकवाद, बड़े स्तर पर पाइरेटेड सॉफ्टवेयर का वितरण आदि इसमें आते हैं। तीसरी श्रेणी में ऐसे अपराध आते हैं जो बड़े स्तर पर किये जाते हैं और पूरे समाज के विरुद्ध गम्भीर अपराध की श्रेणी में आते हैं जैसे– वित्तीय अपराध, ऑनलाइन गैंबलिंग, अवैध वस्तुओं की बिक्री, बच्चों से जुड़ी हुई अश्लील वेबसाइट आदि।

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग एवं दुरुपयोग को देखते हुए वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को अधिनियमित किया और वर्ष 2008 में इसकी कमियों को दूर करने का व्यापक स्तर पर प्रयास किया। इसके अस्तित्व में आने के बाद सायबर अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आवश्यकतानुसार विभिन्न धाराओं में व्यापक परिवर्तन किये गये जिससे वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इन अधिनियमों को माध्यम से सायबर अपराध से न केवल कठोरता से निपटा जा सके अपितु पर्याप्त अंकुश भी लगाया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी 2000 की महत्वपूर्ण धाराओं पर सूक्ष्म दृष्टि डालने के पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि सायबर अपराध के कारण और उद्देश्य क्या हैं ? सामान्य रूप से कम जगह में एक साथ संवेदनशील जानकारियों की उपलब्धता, आसानी से पहुँच, पर्याप्त रूप से सतर्कता न बरतना और सबूतों का आसानी से न मिलना कुछ ऐसे विशिष्ट कारण हैं जिससे लगातार सायबर अपराधों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। सायबर अपराध घटित होने के बाद उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति को पकड़ना एवं उसे दण्डित करवाने के लिए पर्याप्त सबूतों के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना एक लम्बी प्रक्रिया है विशेषकर भारत में जहाँ आज भी थानों में कम्प्यूटर का सतही ज्ञान रखने वालों की कमी है। इस स्थिति में सायबर अपराध की समझ और उसकी जाँच करना एक कठिन व दुरूह कार्य है।

यदि इसके उद्देश्यों पर गौर करें तो आज हर देश के पास सायबर सेना है और कोई भी युद्ध आने वाले समय में इसके माध्यम से ही लड़ा जायेगा। इसलिए कुछ देश विश्व में सायबर आतंकवाद को बढ़ावा देकर सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। किसी भी समुदाय, भाषा समूह, क्षेत्रीय समूह आदि के बीच दूरियाँ पैदा करने के लिए देश–विरोधी तत्व इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। कुछ समय पहले असम में हुई घटनाओं को बड़े पैमाने पर फेसबुक न अन्य इन्टरनेट के माध्यमों से फैलाकर हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और इसके बाद केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के अंतर्गत कई वेबसाइट, फेसबुक आदि पर बड़े पैमाने पर रोक लगाई गयी जो कि विधि सम्मत थी। इसी अधिनियम की धारा 69बी केन्द्र सरकार को एक विशिष्ट अधिकार देती है कि वह ऐसा डाटा जो कि ट्रांजिट में है या किसी कम्प्यूटर पर संरक्षित है उसको अपने अधिकार में ले सकती है, जिसका उद्देश्य हिंसा को बढ़ाकर देश की एकता व अखण्डता के लिए खतरा पैदा करना है।

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 66एफ सायबर आतंकवाद से जुड़े अपराधों को दण्डित करने के बारे में प्रावधान करती है। धारा 66ए जो कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है जो कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीधे–सीधे चुनौती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का मूल उद्देश्य सायबर अपराध को नियन्त्रित करना और साथ–साथ ही दण्डित करना है। धारा 66ए के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कम्प्यूटर का उपयोग कर ऐसे संदेशों को प्रसारित करता है जिससे किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय, संगठन या राज्य को क्षति पहुँचती है तो इस धारा के अंतर्गत उस पर केस दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। विशेषकर पिछले कुछ समय से इस विशिष्ट अधिनियम की कुछ धाराओं के दुरुपयोग पर चर्चा हो रही है। इसी अधिनियम की धारा 66सी, 66डी, 66ई, 43ए आदि जो कि चोरी, धोखाधड़ी, निजता, कॉरपोरेट द्वारा नुकसान की भरपाई करना यदि वो संवेदनशील या निजी जानकारी की सुरक्षा नहीं कर पाती है आदि प्रमुख प्रावधानों से संबंधित है। इस अधिनियम के बारे में न केवल लोगों को जागरूक किया जाये बल्कि पुलिस के लोगों को व्यापक ट्रेनिंग के माध्यम से जागरूक करना अत्यन्त आवश्यक है। विज्ञान के विकास के साथ–साथ इसके दुरुपयोग की चुनौतियों के बीच केवल कड़े कानून व नियम बनाकर ही इनसे निपटा जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के प्रत्येक जनपद में सायबर थानों की स्थापना की जाय और सायबर पुलिस की संख्या को बढ़ाया जाए। प्रत्येक थाने का आधुनिकीकरण करके उसे एक–दूसरे से नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा जाए। खासतौर पर कई बार सायबर अपराध दूसरे देशों से किये जाते हैं लेकिन भारतीय कानून, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इससे निपटने में पूर्णतया सक्षम है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून का उपयोग सरकार एवं राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न हो। आज विश्व का प्रत्येक देश सायबर अपराध से जूझ रहा है इसलिए सरकार व जाँच एजेन्सियों को मिलकर इसका सामना करने का प्रयास करना पड़ेगा।

संदर्भ

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, बेयर एक्ट/मूल अधिनियम।
2. हिन्दी समाचार पत्रों में छपे लेख।